हुक्म		नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
19/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश प्रापत्र धारा-212 R.T. Act दि. 23/09/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 19/9/25	
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रापत्र u/s 212 R.T. Act दि. 08/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 23/9/25	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश प्रापत्र u/s 212 R.T. Act दि. 14/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 08/10/25	
14/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपपक्ष उपस्थित। वहस अपपक्ष की उपस्थिति मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का [illegible] किया गया। धारा 212 RT Act [illegible] 39 R18 [illegible] के प्रपत्र को adjudicate [illegible] प्रकरण को निम्न बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया → ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

खाता नं० 350 किता 08 रकबा 0.7508 hact. अप्रार्थी नं० 1, खाता नं० 781 किता 05 रकबा 0.6982 hact, अप्रार्थी नं० 2, खाता नं० 784 किता 5 रकबा 0.8349 hact. अप्रार्थी 3 के, खाता नं० 786 किता 02 रकबा 0.4300 hact, अप्रार्थी 4 के, खाता नं० 893 किता 01 रकबा 0.0539 hact अप्रार्थी 6 के, खाता नं० 785 किता 02 रकबा 0.2575 hact अप्रार्थी 5 के, खाता नं० 351 किता 01 रकबा 0.1265 hact अप्रार्थी नं० 1,7,8 के खाते तथा खाता नं० 836 किता 01 रकबा 0.0130 hact अप्रार्थी नं० 9 के खाते में वर्तमान में दर्ज रिकार्ड है अर्थात अप्रार्थीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड खातेदार है।

जमाबंदी संवत 2037-40 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पुराना खाता नं० 51 किता 26 रकबा 26-13 बीघा काशीराम पिता धूला मीना के खाते दर्ज रिकार्ड थी जो उनके फौत होने के बाद विरासत से मानसिंह पुत्र काशीराम एवं भवरीबाई बेवा व भवरीबाई उर्फ कमलाबाई बेवा के सह खाते दर्ज हुई थी। दोनों पक्ष इस तथ्य पर सहमत है कि काशीराम के दो पत्नियां - (i) भवरीबाई व (ii) भवरीबाई उर्फ कमलाबाई थी।

बेवा भवरीबाई ~~उर्फ कमलाबाई~~ ने अपना हिस्सा 1/3 अप्रार्थी 1 बसंतीबाई को रजि० दान कर दिया जाना और भवरीबाई उर्फ कमलाबाई ने अपना हिस्सा यानी 1/3 भाग मानसिंह को हकत्याग कर दिया था। अत: वादग्रस्त भूमि के मानसिंह पिता काशीराम ... बसंतीबाई पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/3 ... मानसिंह ने रजि० हकत्याग ... 2006 से अपना हिस्सा 1/3, बसंतीबाई के पक्ष में हकत्याग कर दिया था। अत: वर्ष 2006 मे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी 1 बसंतीबाई के खाते दर्ज हो गई जो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	बसंतीबाई को दान पत्र एवं हकत्यागपत्र से प्राप्त हुई थी। अतः वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी 1 महिला की absolute property थी अर्थात पैतृक संपत्ति नहीं थी। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में साबित है (नक्शा व साक्ष्य लेकर मूलवाद में निर्णीत होगा)
	(ख) अपूरणीय क्षति :- अप्रार्थी 1 एक ~~अनुसू~~ अनुसूचित जनजाति की महिला खातेदार है और जीवित है। वादग्रस्त भूमि, अप्रार्थी 1 की absolute property है और खाता सं० 350 किता 8 रकबा 0.7508 hect को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भूमि का अप्रार्थी 1 ने रजि० बेचान/दान/आदि से अन्तरण (transfer) किया जा चुका है और क्रेताओं/दानग्रहिताओं के पृथक से खाते दर्ज हो चुके है, कोई भी रजि० दस्तावेज को सक्षम civil court द्वारा खारिज किये जाने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित होना साबित नहीं होता है।
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रा०पत्र u/s 212 RTA r.w. O. 39 R1&2 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से [illegible] मूलवाद के साथ संलग्न हो।
	Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.11.04 11:47:23 IST Reason: SelfAttested
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
	(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़)

Scanned with OKEN Scanner